न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 525बी / 2025

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री महिपाल, गांव मुकन्दपुरा, पो0 ठाठवाडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं पिन कोड 332746, मो0नं0 9667177304

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 22.12.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.12.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 525बी / 2025 पर दिनांक 04.12.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2025 / 5237—5238 दिनांक 04.12.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक न्याय / सू0अ0अ0(47)2025 / 397 दिनांक 18.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री महिपाल गांव मुकन्दपुरा, पो0 ठाठवाडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत ऑनलाईन आवेदन पत्र इस कार्यालय मे दिनांक 27.09.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खेतडी से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(40) / 2025 / 267 दिनांक 29.09.2025 द्वारा आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत विकास अधिकारी, पंचायत समिति खेतडी को अन्तरित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी ने पत्रांक न्याय / सू0अ0अ0(47)2025 / 397 दिनांक 18.12.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलकर्ता श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री महिपाल गांव मुकन्दपुरा, पो0 ठाठवाडी, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने बाबत ऑनलाईन आवेदन पत्र उनके कार्यालय मे दिनांक 27.09.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, खेतडी से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक पी0ए0 / सू0अ0अ0(40) / 2025 / 267 दिनांक 29.09.2025 द्वारा आवेदक का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत विकास अधिकारी, पंचायत समिति खेतडी को अन्तरित कर दिया गया था। चूंकि प्रार्थी का आवेदन सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को नियमानुसार अन्तरित किया जाकर प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं